

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कमांक प. 1 (49)वन/2015

जयपुर, दिनांक :-

25 AUG 2020

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र)
पंचम तल केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच
अलीगंज, लखनऊ-226024

विषय:- Diversion of 1.14 ha. of forest land in favour of PWD for
construction of BT road from Mamli Lakshimpura to Patpadi inder
RRSMP Scheme in Rajasthan.

संदर्भ:- आपका पत्रांक 8बी/राज/06/24/2015/एफसी/04 दिनांक 01.04.2015
ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/Road/7127/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव के संबंध में निवेदन है कि संदर्भित पत्र की सूचना समय पर नहीं भिजवाने के कारण आपके कार्यालय के पत्रांक 8बी/राज/06/24/2015/एफसी/925 दिनांक 19.03.2016 द्वारा प्रकरण को निरस्त किया जा चुका है। हालांकी प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 2413 दिनांक 10.05.2018 की पालना में प्रयोक्ता अभिकारण अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-शाहाबाद, जिला-बांरा ने अपने पत्र कमांक 656 दिनांक 15.10.2018 द्वारा प्रकरण को रिऑपन करवाने हेतु निवेदन किया है।

इस प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में यहां यह भी उलेखनीय है की वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सक्षम स्वीकृती प्राप्त नहीं होने पर भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 के बीच वन भूमि पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर 1.14 है० वन भूमि में सडक निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। अतः अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 14() 2014/बारा रोडस/एफसीए/प्रमुवस/1876 दिनांक 21.07.2020 से प्राप्त सूचना मय संलग्न को प्रेषित कर अनुरोध है कि विषयांकित प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(बी.प्रवीण)
शासन सचिव